भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

विदेशी मुद्रा विभाग

FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999
(1999 का 42)

FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT, 1999
(42 OF 1999)

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक का लाइसेंस

लाइसेंस सं. एफइ बीजी/एफएफएमसी/यूएनएल/एस-एफ/15.85.242/2021-22
दिनांक फरवरी 17, 2022
अवधि समाप्ति की तारीख : फरवरी 28, 2023

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 एवं इसके तहत जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, निदेशों, आदेशों और परिपत्रों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा पीछे दी गई शर्तों के अधीन और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 1 जनवरी 2016 के मुद्रा बदलने के कार्य पर एफ.ई.डी. मास्टर निदेश सं. 03/2015-16 द्वारा जारी मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों के संचालन के अनुदेश ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार संलग्न सूची के अनुसार स्थित कार्यालयों द्वारा मुद्रा परिवर्तन कारोबार करने के लिए

कदंबा मायमनी लि
17, केएचबी कालोनी
(सिरसी)
उत्तरकन्नड 581402

(कंपनी का नाम एवं पता)

को सहर्ष प्राधिकृत करता है ।

2. यदि रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि (क) ऐसा करना जनता के हित में है अथवा (ख) सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक उन शर्तों के अनुपालन में असफल रहा हो जिसके अधीन उसे प्राधिकृत किया गया था अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निदेश अथवा आदेश का उल्लंघन किया है, तो किसी भी समय लाइसेंस को वापस लिया जा सकता है । किसी भी सांविधिक अथवा विनियामक प्रावधानों के अतिक्रमण के लिए किसी भी कार्यालय को दिए गए प्राधिकार को वापस लेने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है ।

कृते भारतीय रिज़र्व बैंक

पी. एन. रघुनाथ

महाप्रबंधक/~~उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक~~
भारतीय रिज़र्व बैंक,
विदेशी मुद्रा विभाग

बेंगलूरु
फरवरी 17, 2022

Full Fledged Money Changer's Licence

Licence No. FE. BG.FFMC/UNL/S-F/15.85.242/2021-22
Date : Febrauary 17, 2022
Expiry Date : Febrauary 28, 2023

In exercise of the powers conferred by Section 10 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) Rules, Regulations, Notifications, Directions, Orders and Circulars issued thereunder, the Reserve Bank of India is hereby pleased to authorise

Kadamba mymoney Ltd
17, KHB Colony
Sirsi
Uttarakannada 581 402

(Name and address of the Company)

to undertake money changing business at the offices, as per Annexure, subject to the conditions as detailed overleaf and in accordance with the provisions of FED Master Direction No. 3/2015-16 on Money Changing Activities dated January 01, 2016 as amended from time to time.

2. The licence may be revoked at any time if the Reserve Bank is satisfied that (a) it is in public interest to do so or (b) the Full Fledged Money Changer has failed to comply with any condition subject to which the authorisation is granted or has contravened any of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 or any rule, regulation, notification, direction or order made thereunder. The Reserve Bank of India also reserves the right to revoke the authorisation of any of the offices for infringement of any statutory or regulatory provision.

For Reserve Bank of India

P. N. Raghunath

General Manager/~~Deputy General Manager/~~
~~Assistant General Manager~~
RESERVE BANK OF INDIA,
FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT,
Bengaluru
Dated this day 17 of Febrauary, 2022

34

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

शर्तें

(क) प्राधिकृत प्रतिनिधि / प्रतिनिधियों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मुद्रा परिवर्तक की ओर से मुद्रा परिवर्तन के कारोबार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । प्राधिकृत हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के रिकार्ड की सूची जांच के लिए रखी जानी चाहिए ।

(ख) मुद्रा परिवर्तक द्वारा लाईसेंस के तहत किए गए सभी सौदों के विस्तृत ब्यौरों का रिकार्ड रखा जाना चाहिए ।

(ग) समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा काले धन को वैध बनाने के विरुध्द जारी दिशानिर्देशों और अन्य अनुदेशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए और उनका अनुपालन न होने की स्थिति में लाईसेंस रद्द किया जा सकता है ।

(घ) यह लाइसेंस दिनांक फरवरी 28, 2023 तक वैध रहेगा और दिनांक फरवरी 28, 2023 को इसकी वैधता स्वत: समाप्त हो जाएगी, किन्तु वैधता अवधि समाप्त होने से कम से कम दो माह पूर्व यदि उक्त लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन किया जाता है और रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकृत किए जाने संबंधी यदि कोई लिखित सूचना न भेजी गई हो, तो लाइसेंस की वैधता बनी रहेगी ।

(च) लाईसेंस जारी किए जाने की तारीख से छह (6) माह के भीतर कंपनी / कंपनी की नई शाखा का कामकाज शुरु हो जाना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालय को इस संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की जानी चाहिए ।

(छ) सांखिकीय प्रयोजनों हेतु दोहरी गणना के निवारण हेतु शाखाओं के बीच विदेशी मुद्रा का अंतरण का लेखांकन, स्टाक अंतरण के रुप में किया जाना चाहिए न कि बिक्री के रुप में ।

CONDITIONS

(a) No person other than the authorised representative/s should be allowed to transact money changing business on behalf of the money-changer. A list of authorised signatories should be maintained on record for verification.

(b) A detailed record should be maintained of all transactions undertaken by the money changer under the licence.

(c) The provisions of Anti-Money Laundering Guidelines and other instructions/guidelines issued by the Reserve bank from time to time should be strictly adhered to and any non-compliance thereof could result in cancellation of the licence.

(d) The licence will be valid until February 28, 2023 and will expire automatically on February 28, 2023 unless an application for renewal is made at least two months before the date of expiry and no rejection of the same has been communicated by the Reserve Bank.

(e) The operations of the company/new branch of the company should be commenced within a period of six months from the date of issue of the licence and a report in this regard should be sent to the Regional Office concerned of the Reserve Bank.

(f) Transfer of foreign currencies between the branches should be accounted as stock transfer and not as sale to avoid double counting for statistical purpose.